

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली, जालौन, गाजियाबाद, बांदा, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, हरदोई, अमरोहा, अलीगढ़ एवं ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2017

विषय: वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान-प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टेड इन रिलीफ कैम्पस के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु ₹0 1,72,45,670/- (एक करोड़ बहत्तर लाख पैंतालिस हजार छः सौ सत्तर मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम, पत्रांक व दिनांक	कम्बल हेतु आवंटित धनराशि (₹0 में)	अलाव हेतु आवंटित धनराशि (₹0 में)	स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि (₹0 में)
1	चन्दौली, पत्रांक-22, दिनांक-16.12.2016	5,00,000	--	5,00,000
2	जालौन, पत्रांक-152, दिनांक-19.12.2016	25,00,000	2,50,000	27,50,000
3	गाजियाबाद, पत्रांक-348, दिनांक-21.12.2016	15,00,000	--	15,00,000

4	बांदा, पत्रांक-458, दिनांक-31.12.2016	--	2,00,000	2,00,000
5	सिद्धार्थनगर, पत्रांक-403, दिनांक-04.01.2017	25,00,000	--	25,00,000
6	फतेहपुर, पत्रांक-638, दिनांक-04.01.2017	15,00,000	--	15,00,000
7	हरदोई, पत्रांक-1079, दिनांक-05.01.2016	25,00,000	2,50,000	27,50,000
8	अमरोहा, पत्रांक-231, दिनांक-06.01.2017	10,00,000	--	10,00,000
9	अलीगढ़, पत्रांक-1063, दिनांक-12.01.2017	17,95,670	2,50,000	20,45,670
10	ललितपुर, पत्रांक-1083, दिनांक-13.01.2017	25,00,000	--	25,00,000
योग		1,62,95,670	9,50,000	1,72,45,670
(एक करोड़ बहत्तर लाख पैंतालिस हजार छः सौ सत्तर मात्र)				

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-1200/1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 07.11.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,


(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- २७ (1)/1-10-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(मदन मोहन)

उप सचिव।